विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

मध्य प्रदेश शासन के आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र पर 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में वित्तीय संव्यवहारों की लेखापरीक्षा से उद्भूत चार निष्पादन लेखापरीक्षा, एक दीर्घ प्रारूप कंडिका और 14 कंडिकाएं सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

1. निष्पादन लेखापरीक्षाएं

1.1 इंदिरा सागर परियोजना की नहरों का निर्माण और सिंचाई क्षमता का सृजन

इंदिरा सागर परियोजना (खंडवा जिले में), सरदार सरोवर परियोजना की, जल प्रवाह के विरूद्ध (अपस्ट्रीम) नर्मदा नदी पर राज्य की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। परियोजना में 7.90 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) सक्रिय भंडारण, 2.00 एम.ए.एफ.मृत भंडारण क्षमता एवं 248.65 किलोमीटर (243.89 किमी के लिए संशोधित) लंबी मुख्य नहर वाला एक 92 मीटर ऊंचा और 653 मीटर लंबा कांक्रीट ग्रेविटी बांध शामिल हैं। परियोजना का उद्देश्य राज्य में 1.69 लाख हेक्टेयर की कुल वार्षिक सिंचाई के साथ, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में 1.23 लाख हेक्टेयर सिंचाई उपलब्ध कराना है।

इंदिरा सागर परियोजना की नहरों के निर्माण एवं सिंचाई क्षमता के सृजन की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियों का पता चला:

- 62,200 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए, इंदिरा सागर परियोजना की प्रारंभिक विस्तार अर्थात् चरण-I एवं चरण-II के कार्य ₹ 3,102.89 करोड़ के व्यय के बाद भी पूर्ण नहीं हुए थे।

(कंडिका 2.1.7)

- ठेकेदारों ने वितरण नेटवर्क का साथ-साथ निष्पादन करने के बजाय मुख्य नहर के निष्पादन पर जोर दिया,जिससे सिंचाई क्षमता के सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(कंडिका 2.1.7.2)

- मानक बोली दस्तावेज़ में निर्दिष्ट शर्तों से विचलन, आदेशों का विवेकहीन संशोधन, मूल्य वृद्धि की संगणना हेतु गलत सूचकांकों के अपनाने एवं निर्धारित पूर्णता अवधि के बाद समय वृद्धि की अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 93.48 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(कंडिकाएं 2.1.8.2 एवं 2.1.8.8)

- निर्माण कार्यों के लक्ष्य की पूर्णता में विलंबों हेतु टर्नकी ठेकेदारों पर ₹ 118.78 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गयी और ट्रांसमिशन लाईन के अवांछित आइटम का समावेश करने से टर्नकी ठेकेदार को ₹ 75.19 करोड़ का अदेय लाभ दिया गया।

(कंडिका 2.1.8.7 एवं कंडिका 2.1.8.11)

- आइटम रेट ठेकों को टर्नकी ठेकों से बदलने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका क्योंकि टर्नकी ठेकेदारों द्वारा भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने में

असाधारण विलंब,कार्यों के निष्पादन में विलंब होने से सिंचाई क्षमता सृजित न होना परिणामित हुआ।

(कंडिका 2.1.8.14)

1.2 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाय),ग्रामीण इलाकों की संपर्कविहीन बसाहटों को बारहमासी सड़कों के माध्यम से संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2000 में आरम्भ की गई थी। राज्य में यह योजना मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (एम.पी.आर.आर.डी.ए.) द्वारा कार्यान्वित की गई थी।

मध्यप्रदेश में अप्रैल 2000 की स्थिति के अनुसार 20,210 पात्र संपर्कविहीन बसाहटों में से 12,496 बसाहटों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ₹ 8,795.73 करोड़ की लागत से 8,258 सड़कों (37,355 किमी) का निर्माण कर मार्च, 2010 तक संपर्क प्रदान किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा आच्छादित अवधि यानि अप्रैल 2010 से मार्च 2015 के दौरान ,5190 सड़कों (23,030 किमी) के निर्माण पर ₹ 6,328.61 करोड़ के व्यय से 3,323 बसाहटों को संपर्क उपलब्ध कराया गया। मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार 3,388 पात्र बसाहटें संपर्कविहीन थीं। निष्पादन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैः

- योजनाकरण त्रुटिपूर्ण था क्योंकि "ट्रांसेक्ट वाक " आयोजित नहीं किये गये थे, जिला पंचायत से वार्षिक आधार पर सड़कों का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। योजना प्रारंभ होने के 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी 17 प्रतिशत पात्र बसाहटों को अभी तक बारहमासी सड़कों द्वारा संपर्क उपलब्ध कराना था।

(कंडिकाएं 2.2.7.1 से 2.2.7.3)

- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) यर्थाथवादी नहीं थी, ₹ 34.42 करोड़ के निर्णीत हर्जाने के कम अधिरोपण, ह्यूम पाइप के लिए ₹ 11.21 करोड़ का गलत भुगतान, मापों को प्रमाणित किए बिना ₹ 29.19 करोड़ का भुगतान, ₹ 69.41 लाख का अधिक भुगतान, ठेकेदारों से वसूली योग्य ₹ 47.34 करोड़ की कम/वसूली न होना एवं कार्य का बीमा न करने के कारण ₹ 2.60 करोड़ की अनुचित वित्तीय सहायता के दृष्टांत ध्यान में आए।

(कंडिकाएं 2.2.7.4, 2.2.8.1 (V से VII), 2.2.8.3)

- सड़क निर्माण कार्य के 103 पैकेजेस के प्रकरणों में क्षति के लिये दायित्व की अवधि के बाद उत्तर पंचवर्षीय रखरखाव के कार्य के आवंटन में विलंब हुआ था एवं क्षति के लिये दायित्व अवधि के दौरान सड़कों का रखरखाव न किया जाने के दृष्टांत ध्यान में आए।

(कंडिका 2.2.8.4)

- राज्य गुणवत्ता निगरानी कर्ताओं (एस.क्यू.एम.) के माध्यम से कार्य की गुणवत्ता के आंकलन के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार गुणवत्ता की निगरानी नहीं

की जा रही थी। एस.क्यू.एम. द्वारा इंगित की गई त्रुटियों के सुधार में विलंब हुआ था।

(कंडिका 2.2.9.2)

1.3 मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड सूखा राहत पैकेज का कार्यान्वयन

राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर, दमोह, दतिया, पन्ना, सागर एवं टीकमगढ़ जिले समाहित हैं। भारत सरकार ने गंभीर सूखा परिस्थिति एवं क्षेत्र में जनजीवन पर इसके प्रभाव के समाधान हेतु 11 वीं योजना अवधि के अंत तक, नदी प्रणाली के उपयोग के माध्यम से जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग, सिंचाई सुविधाओं, वेयर हाउसिंग एवं विपणन अधोसंरचना का विकास एवं वन क्षेत्र में वाटरशेड ट्रीटमेंट के उद्देश्यों के साथ एक विशेष बुंदेलखंड सूखा राहत पैकेज (बी.डी.एम.पी.) अनुमोदित किया (दिसम्बर 2009)।

मध्यप्रदेश में जल संसाधन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास तथा वन विभागों द्वारा बुंदेलखंड सूखा राहत पैकेज के कार्यान्वयन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुआः

- योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा 11वीं योजना अवधि के लिए मध्य प्रदेश हेतु ₹ 3,760 करोड़ हेतु एक विशेष पैकेज घोषित किया गया और ₹ 1,953.20 की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता चिन्हित किया गया। बी.डी.एम.पी. हेतु 12वीं योजना अवधि के लिए ₹ 1884.50 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता चिन्हित की गई।

(कंडिका 2.3.1)

जल संसाधन विभाग

- बी.डी.एम.पी. के अंतर्गत 177 योजनाओं/ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से 2.16 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु जल संसाधन विभाग को ₹1,581 करोड़ आवंटित किए गए जिसमें से मार्च 2015 तक, ₹ 1,098.86 करोड़ व्यय करने के पश्चात 1.14 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता प्राप्त की जा सकी थी।

(कंडिका 2.3.7)

- दतिया एवं टीकमगढ़ जिलों के 45,536 हेक्टेयर कमान क्षेत्र के विकास के कार्य, जिसके लिए बी.डी.एम.पी. के अंतर्गत ₹ 50 करोड़ आवंटित किए गए थे, राजघाट परियोजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। तथापि, ₹ 56.11 करोड़ की लागत से 22,624 हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकसित किया जा सका था। आगे, ₹ 11.54 करोड़ की राशि भिण्ड एवं शिवपुरी जिलो, जो बुंदेलखंड क्षेत्र के बाहर थे में व्यय किए गए थे।

(कंडिका 2.3.7.1)

- बी.डी.एम.पी. के अंतर्गत ₹ 117.08 करोड़ की अतिरिक्त निधि, बरियारपुर बांयी तट नहर (एल.बी.सी.) को 11वी योजना अवधि तक पूर्ण करने के उद्देश्य से उपलब्ध कराई गई थी। तथापि, मुख्य नहर में लाइनिंग, मुख्य नहर में 12 संख्या में संरचनाएं, वितरण प्रणाली के मिट्टी कार्य एवं वितरण प्रणाली की लाइनिंग पूर्ण नहीं थी। बढ़े हुए प्राक्कलनों के आधार पर कार्य सौंपे जाने के कारण ₹ 15.83 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 2.3.7.2)

- सिंहपुर परियोजना, छतरपुर जिले में 12,474 हेक्टेयर को सिंचित करने के लिए अभिप्रेत थी, इसको 2012-13 तक पूर्ण करने के लिए ₹ 100.00 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई। तथापि, इसकी वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग रूपांकन मानदण्डों में बार-बार बदलावों के कारण मार्च 2015 तक अपूर्ण था।

(कंडिका 2.3.7.3)

- 167 लघु सिंचाई योजनाओं पर मार्च 2015 तक ₹ 708.13 करोड़ व्यय किए गए थे। 135 लघु सिंचाई योजनाएं पूर्ण हुई थीं एवं 37,028 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित हुई थी। योजनाओं के चयन में बदलाव, के परिणामस्वरूप कार्यों के प्रारंभ करने के साथ-साथ कार्यों की पूर्णता में विलंब हुए थे। आगे, भू अर्जन प्रक्रिया को विलंब से प्रारंभ करने के परिणामस्वरूप योजनाओ की पूर्णता में विलम्ब हुए।

(कंडिका 2.3.7.4(i)

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने ₹ 478.26 करोड़ की लागत से 5.34 लाख मीट्रिक टन (मी.टन) की क्षमता सृजित की। बी.डी.एम.पी. के अंतर्गत 76,800 मी.टन क्षमता वाली 27 विपणन अधोसंरचनाएं (मिनी मंडियां) ₹ 80.14 करोड़ के व्यय के पश्चात निर्मित की गई थी। मिनी मंडियों को प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पी.ए.सी.एस.) द्वारा संचालित किया जाना परिकल्पित था, तथापि ये अक्टूबर 2015 तक पी.ए.सी.एस. को सौंपी नहीं जा सकी थी।

(कंडिकाएं 2.3.8 एवं 2.3.8.1)

- वेयर हाउस एवं विपणन अधोसंरचना के ₹ 222.14 करोड़ की लागत के कार्यों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) स्थल विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर होने के स्थान पर समान आरेखनों के आधार पर थे। इसके परिणामस्वरूप क्रियान्वयन के समय कार्यों की मदों में अत्यधिक विचलन हुए।

(कंडिका 2.3.8.2 (i))

वन विभाग

- वन विभाग ने बी.डी.एम.पी. के अंतर्गत मार्च 2015 तक वाटरशेड क्षेत्र में मृदा नमी एवं संरक्षण (एस.एम.सी.) कार्यों के लिए ₹ 322 करोड़ की परियोजना लागत के विरूद्ध ₹ 158.69 करोड़ व्यय किए। तथापि, एस.एम.सी. कार्यों के 2.88 लाख हेक्टेयर के लक्षित क्षेत्र के विरूद्ध 12वीं योजना अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा निधियों के कम विमुक्त किए जाने के कारण 1.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ही पूर्ण किए जा सके।

(कंडिकाएं 2.3.9 एवं 2.3.9.1)

1.4 जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा कार्यान्वित 'इंटरप्राइज़ इंफारमेशन मेनेजमेंट सिस्टम-ईआईएमएस' पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग को राज्य के जल संसाधनों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इंटरप्राइज़ इंफारमेशन मेनेजमेंट सिस्टम (ईआईएमएस), विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना का एक हिस्सा है। ईआईएमएस का उद्देश्य एकीकृत जल संसाधनों, सिंचाई एवं निकासी प्रणाली का सरलीकरण एवं दक्षता में वृद्धि, बेहतर आयोजना एवं प्रबंधन उपलब्ध कराना है।

सामान्य नियंत्रण

- विभाग द्वारा अभी तक औपचारिक तार्किक अभिगम नियंत्रण नीति, परिवर्तन प्रबंधन नीति और आपदा की स्थिति में कार्य निरंतरता के बहाली की योजना तैयार नहीं की गई है।

(कंडिकाएं 2.4.6.1 से 2.4.6.3)

अनुप्रयोग नियंत्रण

- ई.आई.एम.एस. के 24 मॉड़यूलों के डेटाबेस परीक्षण से अपर्याप्त इनपुट नियंत्रण, डेटा वैद्यता का न होना, व्यवसायिक नियमों का अपूर्ण निर्धारण, कई माड्यूलों में अपूर्ण डाटा संकलन तथा माड्यूलों का प्रयोग न किया जाना परिलक्षित हुए। इस प्रकार ₹ 16.79 करोड़ का व्यय जो ईआईएमएस के विकास पर किया गया वह आयोजना अनुसार निर्धारित मॉड्युलों के विकास/उपयोग न होने के कारण उस सीमा तक निष्फल रहा ।

(कंडिकाएं 2.4.7.1 से 2.4.7.17)

ई.आई.एम.एस. का ठेका प्रबंधन

- वेबसाईट सुरक्षित नहीं थी क्योंकि वेबसाईट अनुप्रयोग के साथ एक वैधता समाप्त सिक्योर सॉकेट लेयर प्रमाणीकरण संस्थापित किया गया था। सलाहकार के साथ किए गए अनुबंध में हिन्दी एवं अंग्रेजी के बीच परिवर्तन करने के लिए द्विभाषी शब्दकोष एवं फोनेटिक रूपांतरण इंजन का प्रावधान था। यद्यपि ये अनुप्रयोग के साथ स्थापित नहीं किए गए थे।

(कंडिकाएं 2.4.8.2 एवं 2.4.8.3)

- विभाग, ई.आई.एम.एस. अनुप्रयोग का पूर्ण क्षमता से उपयोग करने हेतु पर्याप्त मानव शक्ति का विकास नहीं कर सका। ईआईएमएस के विकास चरण के मुख्य कार्यों में से कुछ कार्य अनुबंध का उल्लंघन करते हुए एक उपठेकेदार फर्म के माध्यम से क्रियान्वित किये गए जिससे प्रणाली रूपांकन संबंधी कमियां रही।

(कंडिकाएं 2.4.8.5 से 2.4.8.8)

1.5 निर्माण कार्यों में गुणवत्ता आश्वासन पर दीर्घ प्रारूप कंडिका

जल संसाधन विभाग ने दो केंद्रीय प्रयोगशालाओं, आठ उप-संभागों के साथ दो गुणवत्ता नियंत्रण संभागों और बारह अन्य गुणवत्ता नियंत्रण उप-संभागों की स्थापना की थी। वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान ₹ 1,250.52 करोड़ की लागत पर 72 अनुबंधों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही तीन वृहद, दो मध्यम और 23 लघु सिंचाई योजनाओं में गुणवत्ता नियंत्रण स्थापना की पर्याप्तता एवं निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के अनुपालन की जाँच की गई। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैः

- गुणवत्ता नियंत्रण मण्डलों, संभागों और उप-संभागों की संख्या विभाग की गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली में दिए गए मानदंडों के अनुसार स्थापित नहीं थी। गुणवत्ता नियंत्रण संभागों/उप-संभागों में तकनीकी कर्मचारी सहित कर्मचारियों की कमी थी जो निर्माण कार्य में गुणवत्ता आश्वासन को प्रभावित कर रही थी।

(कंडिका 2.5.5.1(i) एवं (ii))

- ₹ 121.71 करोड़ मूल्य की सीमेंट एवं स्टील सरियों के सुदृढ़ीकरण की गुणवत्ता, ₹ 12.90 करोड़ लागत से चिपकने एवं न फूलने वाली (सीएनएस) मिट्टी और कम घनत्व की पोलीइथिलीन फिल्म के भौतिक गुणों के संबंध में परीक्षणों के परिणाम उपलब्ध नहीं थे और सामग्री एवं सीमेंट कांक्रीट/प्रबलित सीमेंट कांक्रीट के अपेक्षित परीक्षण निर्धारित आवृत्तियों के अनुसार नहीं किये गये थे। अतः वहाँ कोई आश्वासन नहीं था कि कार्यों में उपयोग की गई सामग्री अपेक्षित गुणवत्ता और भौतिक गुणों की थी।

(कंडिका 2.5.5.2)

- रामपुर वितरणी के कार्य में सीमेंट कंक्रीट कार्य के परीक्षणों के परिणाम निर्दिष्ट शक्ति की तुलना में कम शक्ति का संकेत देते थे। ₹ 7.01 करोड़ मूल्य के सीमेंट कांक्रीट कार्यों में दोष के लिए विभाग ने दोष को हटाने के लिए ठेकेदार को न तो निर्देशित किया और न ही घटी दर पर भुगतान किया।

(कंडिका 2.5.5.3)

- पेंच व्यपवर्तन योजना की ₹ 580.77 करोड़ लागत के नहर लाइनिंग (अस्तर) एवं संरचनाओं के छह टर्नकी अनुबंधों के संबंध में कार्यों हेतु संयुक्त माप की रिपोर्ट, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाँच और गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली में निर्दिष्ट आवृत्ति में सीमेंट कांक्रीट/प्रबलित सीमेंट कांक्रीट कार्यों एवं सामग्री के परीक्षण परिणाम नहीं पाए गए थे।

(कंडिका 2.5.5.4)

2. लेन-देनों की लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बहुत-सी उल्लेखनीय कमियों को भी इंगित किया है जो शासकीय विभागों/ संगठनों की सुचारु कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालती हैं। इन्हें मुख्य रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत एवं समूहबद्ध किया गया हैः

- नियमों, आदेशों इत्यादि का अनुपालन न किया जाना

- औचित्य के बिना व्यय
- सतत् एवं व्यापक अनियमितताएं
- असावधानी के कारण विफलता

2.1 नियमों का अनुपालन न किया जाना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन तथा वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय, वित्तीय नियमों, विनियमों तथा सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप हो। यह न केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोग तथा धोखाधड़ी पर रोक लगाता है अपितु अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में सहायता करता है। इस प्रतिवेदन में ₹ 5.58 करोड़ के ऐसे उदाहरण दिये गये हैं जिनमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। कतिपय महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैः

- संचालनालय ने क्रय किये जाने वाले हेलीकॉप्टर के मूल्य निर्धारण के लिए हेलीकॉप्टर की लागत का कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया और हेलीकॉप्टर की आपूर्ति द्वितीय न्यूनतम दर प्रदायकर्ता निर्माता को ₹ 83.00 लाख अतिरिक्त लागत पर प्रदाय कर दी।

(कंडिका 3.1.1)

- कार्य मदों की बिना मिलान की गई/बिना दर्ज की गई मात्राओं पर ₹ 90.89 लाख के अनियमित भुगतान के अतिरिक्त ठेकेदार को राक-टो, स्टोन पिचिंग और उपयोग योग्य मिट्टी की कटौती न करने कारण ₹ 80.35 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

(कंडिका 3.1.2)

- निचले सिहावल संभाग चुरहट में न फूलने, चिपकने वाली मिट्टी के निष्पादन के आधार पर ₹ 1.54 करोड़ के व्यय की उपयोगिता को मिट्टी के परीक्षण परिणामों के अभाव में आश्वस्त नहीं किया जा सका।

(कंडिका 3.1.3)

- कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, ने वास्तव में उपयोग की गई स्थानीय रेत के स्थान पर नर्मदा की रेत के उपयोग के बाबत् परिवहन पर ₹ 1.01 करोड़ का अनौचित्यपूर्ण भुगतान किया।

(कंडिका 3.1.4)

- ठेकेदार को सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग कार्य हेतु पेवर मशीन की तैनाती जो कि नहर की दी गई चौडाई में संभव नहीं थी, के लिए ₹ 48.58 लाख का भुगतान किया गया जिसमें से ₹ 20.44 लाख लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर वसूल किए जा चुके है।

(कंडिका 3.1.5)

2.2 औचित्य के बिना व्यय

लोक निधियों से व्यय का प्राधिकार लोक व्यय के औचित्य तथा दक्षता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। व्यय करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों से वहीं सतर्कता बरतने करने की आशा की जाती है जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति अपने स्वयं के धन के संबंध में बरतता है और उसे प्रत्येक कदम पर वित्तीय व्यवस्था तथा पूर्ण मितव्ययिता बरतनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने ₹ 9.14 करोड़ के अनौचित्य, अतिरिक्त एवं निष्फल व्यय के दृष्टांतों को देखा, जिसकी नीचे चर्चा की गई है:

- महान नहर संभाग सीधी में न फूलने चिपकने वाली मिट्टी के गलत प्रावधान एवं क्रियान्वयन के कारण ₹ 2.48 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई। इसके अतिरिक्त, कांक्रीट स्लीपरों को अतिरिक्त रूप से लगाने पर ₹ 2.05 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 3.2.1)

- पेंच डायवर्सन बांध संभाग-I सिंगाना, छिंदवाड़ा में परियोजना के एक मद की बढ़ी हुई मात्रा एक नए ठेकेदार को उच्चतर दरों पर प्रदाय करने के कारण विभाग ने निष्पादित मात्राओं हेतु ₹ 1.03 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया और ₹ 2.09 करोड़ के अतिरिक्त व्यय हेतु प्रतिबद्ध हुआ।

(कंडिका 3.2.2)

- नर्मदा विकास संभाग 7 सतना में टर्नकी संविदा के कार्यक्षेत्र से क्रास रेगुलेटर कम एस्केप की संरचना को हटाने के कारण ठेकेदार को ₹ 1 करोड़ का अदेय लाभ पहुँचाया गया।

(कंडिका 3.2.3)

- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संभाग गुना द्वारा 40-60 टीपीएच हॉट मिक्स प्लांट पर लागू बिटुमिनस मदों के भुगतान को सीमित न करने के कारण, ठेकेदार को ₹ 49.37 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

(कंडिका 3.2.4)

2.3 सतत् एवं व्यापक अनियमितताएं

एक अनियमितताएं तब सतत् समझी जाती है यदि यह वर्ष दर वर्ष प्रकट होती हो और जब यह संपूर्ण प्रणाली में प्रचलित हो जाती है, तो यह व्यापक हो जाती है। पूर्व की लेखापरीक्षाओं में इंगित करते रहने के बावजूद अनियमितता की पुनरावृत्ति न केवल कार्यपालकों के गंभीर न होने के सूचक है अपितु यह प्रभावी परिवीक्षण के अभाव का भी सूचक है। क्रमागत रूप से यह नियमों/ विनियमों के अनुपालन से जान बूझकर किए गए विचलनों को बढ़ावा देता है एवं प्रशासनिक संरचना की कमजोरी में परिणामित होता है। ₹ 6.80 करोड़ मूल्य की सतत् अनियमितताओं के महत्वपूर्ण प्रकरण नीचे दिए गए है:

- कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भवन/पथ) संभाग डिंडौरी ने मूल्यवृद्धि के लिए अस्वीकार्य अवधि को लेने और मानक निविदा अभिलेखों में विनिर्दिष्ट सूत्र के स्थान पर मूल्यवृद्धि की गणना के लिए त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया अपना कर ठेकेदार को मूल्यवृद्धि की राशि ₹ 3.63 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

(कंडिका 3.3.1)

- मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई शिवपुरी में कार्य को पूर्ण करने में देरी के कारण ₹ 1.57 करोड़ की राशि के निर्णीत हर्जाने का ठेकेदार पर कम आरोपण किया गया।

(कंडिका 3.3.2)

- नर्मदा विकास संभाग सं. 7 (नागोद शाखा नहर) और नर्मदा विकास संभाग सं. 9, मैहर (सतना-रीवा मुख्य नहर) में दो नहर कार्यों में मूल्यवृद्धि की गणना करने में गलत आधार मूल्य सूचकांक अपनाने के परिणामस्वरूप एक ठेकेदार को ₹ 99.69 लाख का अधिक भुगतान हुआ, जिसमें से ₹ 52.47 लाख लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर वसूल लिए गए।

(कंडिका 3.3.3)

- लापरवाही के कारण मुख्य अभियंता गंगा बेसिन, रीवा ने दो उद्वहन सिचांई योजनाओं के कमान क्षेत्र के अतिव्यापन (ओवर लैपिंग) के कारण ₹ 60.26 लाख का व्यय किया जिससे बचा जा सकता था।

(कंडिका 3.3.4)

2.4 असावधानी के कारण विफलता

सरकार का दायित्व है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना का विकास तथा उन्नयन एवं लोक सेवा के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के माध्यम से वह लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करें। तथापि, लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण पाए गए हैं जिनमें समाज के लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन हेतु सरकार द्वारा दी गई निधियां विभिन्न स्तरों पर अनिर्णयात्मकता, प्रशासनिक असावधानी तथा संगठित कार्रवाई के अभाव के कारण अप्रयुक्त/ अवरूद्ध रही और/ अथवा निष्फल/ अनुत्पादक सिद्ध हुई। राशि ₹ 1.18 करोड़ के प्रकरण की चर्चा नीचे की गई है:

- अनुबंध में किराये पर ली गई मशीन का न्यूनतम उत्पादन विनिर्दिष्ट न करने के कारण विद्युत एवं यांत्रिक (ई एण्ड एम) भारी अर्थ मूविंग संभाग, भोपाल ने 4,033.77 अतिरिक्त मशीन घंटे हेतु भुगतान किया, परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.18 करोड़ का अदेय लाभ हुआ।

(कंडिका 3.4.1)